

राजस्थान सरकार  
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी-3/1 ए, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर।  
क्रमांक : एफ 16(1)( )वि.यो./ जयपुर, दिनांक :

अभिरुचि की अभिव्यक्ति  
(Expression of Interest)

स्वयं सेवी संस्थाओं से जो निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत हैं तथा विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में कार्यरत हैं, ऐसी स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, स्वयंसिद्धा परिसर, जामडोली, जयपुर में 6 से 18 वर्ष तक के मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों के शिक्षण हेतु 100 की क्षमता का विशेष विद्यालय एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 100 की क्षमता का व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु इच्छुक स्वयं सेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त प्रस्ताव उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (शहर) एवं जिला कलक्टर, जयपुर की स्पष्ट अभिशंषा के साथ दिनांक 15.02.2017 तक निदेशालय को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र प्रारूप एवं अन्य विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय बेवसाईट <http://sje.rajasthan.gov.in> अथवा कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (शहर) एवं निदेशालय विशेष योग्यजन जी-3/1 ए, होटल राजमहल पैलेस के पीछे, रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर से सम्पर्क किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।

  
निदेशक

एवं विशिष्ट शासन सचिव